इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2011—भाद्र 3, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. एफ. 11-39-2005-सूअप्र-1-9.—यत: राज्य सरकार का यह विचार है कि लोकायुक्त संगठन की मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना तथा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधीन अन्वेषण किए जा रहे आर्थिक अपराधों के मामलों में सूचना देने वालों या शिकायत करने वालों के नामों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधीन प्रकट किए जाने से ऐसी सूचना देने वालों या शिकायत करने वालों के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

और यत: राज्य सरकार का यह भी विचार है कि उक्त संगठनों के अधीन अन्वेषण किए जा रहे आर्थिक अपराधों के मामलों में सूचना के प्रकटन से अपराधियों के अन्वेषण या पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन आएगी.

और यत: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 8 (1) में कतिपय आधारों पर सूचना के प्रकटन से छूट दिये जाने का उपबंध है जिसमें खण्ड (छ) में यह उपबंध है कि किसी नागरिक को किसी सूचना दिये जाने से इंकार किया जा सकेगा, जिसका प्रकटन करने से किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़े या सूचना के स्रोत की पहचान होती हो तथा खण्ड (ज) में यह उपबंध है कि ऐसी सूचना, जिसका प्रकटन अन्वेषण की प्रक्रिया, अपराधियों के पकड़े जाने या उनके अभियोजन में अड़चन डालता हो.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित संगठनों द्वारा किये जा रहे अन्वेषण वाले मामलों में लागू नहीं होंगे :—

1. लोकायुक्त संगठन की मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना.
2. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो.

No. F 11-39-05-1-9-RTI.—Whereas the State Government considers that the disclosure of the information regarding names of informers or complainants in the economic offences under investigation in the Madhya Pradesh Special Police Establishment of Lokayukta Organisation and State Bureau of Investigation of Economic Offences under the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) may likely to endanger the life or physical safety of such informers or complainants;

And whereas the State Government also considers that the disclosure of the information in the economic offences under investigation in the said organisation would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

And whereas Section 8(1) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) provides for exemption from disclosure of information on certain grounds, wherein clause (g) provides that information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information, and clause (h) provides that information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders, shall be denied to any citizen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 24 of the said Act, the State Government, hereby specify that the provisions of the said Act shall not apply with respect to the cases under investigation by the following organizations :—

1. Madhya Pradesh Special Police Establishment of Lokayukta Organisation.
2. State Bureau of Investigation of Economic Offences.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.